

नगरीय स्थानों में उद्यमशीलता एवं विकास के प्रति दृष्टिकोण

निचला गंगा-घाघरा दोआब

डॉ. शम्भू नाथ यादव

प्रधानाचार्य

प्राथमिक विद्यालय

संवादपुर, शिक्षा क्षेत्र

पंदह, बलिया, उत्तर प्रदेश

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र में घाघरा दोआब क्षेत्र में नगरीय स्थलों की उद्यमशीलता और उनके विकास का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। भारत का अतीत औद्योगिक क्षेत्र में अपने लघु उद्योग धन्धों के लिए बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। लघु उद्योग क्षेत्र औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। पूँजी की कमी और भारी बेरोजगारी को देखते हुए लघु उद्योगों का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की विभिन्न औद्योगिक नीतियों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया और इनके विकास पर बल दिया गया है।

बीज शब्द : दोआब, उद्यमशीलता, नगरीय स्थान, औद्योगिक गतिविधियाँ, कला, आधुनिकीकरण।

अध्ययन का उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि घाघरा दोआब क्षेत्र में स्थित नगरीय स्थलों में उद्यमशीलता एवं उनके विकास का विश्लेषण करके वहां की रोजगारपरक की स्थिति, अर्थव्यवस्था, लोगों का रहन-सहन और वहां की सांस्कृतिक स्थितियों का अनुमान लगाया जा सके।

विधि तंत्र – प्रस्तुत अध्ययन में पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों और संकल्पनाओं का विवेचनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है तथा विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया है।

परिचय

सभ्यता के प्रारम्भ से ही उद्योग का मानव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रगति के अनेक सोपानों का निर्माण करते हुए इसने मानव को आदि गुफाओं की स्थिति से चन्द्रमा एवं मंगल ग्रह तक पहुँचाया है। उद्योग मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मानव प्रयासों के विभिन्न क्षेत्रों में हमें औद्योगिक गतिविधियों की अमिट छाप देखने को मिलती है। पिछले कुछ दशकों में हुई औद्योगिक प्रगति भारतीय आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन में गुणात्मक, परिमाणात्मक व विविधता की दृष्टि से द्रूत गति से विकास हुआ है तथा औद्योगिक आधार में काफी विविधताएँ आयी है।

ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत अपनी हस्तशिल्प कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 19वीं शताब्दी के आरम्भ तक भारतीय हस्तशिल्प उद्योग उन्नति के चरम सीमा पर थे। लेकिन ब्रिटिश शासन होने से पश्चिमी सभ्यता की तकनीकी अपनायी जाने लगी, जिससे घरेलू हस्तशिल्प की वस्तुओं की मांग कम होने लगी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगीकरण की गति धीमी और असन्तोषजनक थी, इसलिए काफी हद तक भारत में औद्योगीकरण में तीव्रता स्वतन्त्रता के बाद आयी। स्वतन्त्रता के बाद देश के औद्योगिक विकास के लिए एक निश्चित, सुनियोजित तथा प्रगतिशील औद्योगिक नीति की आवश्यकता अनुभव की गई और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति से औद्योगिक विकास सुगम हो गया, जिसके पश्चात 1965 में नई औद्योगिक नीति बनायी गयी, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और औद्योगीकरण की गति को तेज करना था। इसके पश्चात वर्ष 1973 की औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिकता वाले उन उद्योगों का पता लगाया गया, जिनमें बड़े औद्योगिक घरानों तथा विदेशी कम्पनियों से निवेश की अनुमति मिल सके। वर्ष 1977 में नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्व पर बल दिया गया तथा वर्ष 1980 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्वदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, औद्योगिक तथा आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, जबकि

वर्ष 1997 की औद्योगिक नीति में सुरक्षा और सामरिक महत्व सम्बन्धी खतरनाक रसायनों, पर्यावरण सम्बन्धी एवं सामाजिक कारणों की अनदेखी करने वाले तथा प्रमुख खपत वाली वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योगों को छोड़कर अन्य औद्योगिक लाइसेंस रद्द कर दिये गये।

भारत का अतीत औद्योगिक क्षेत्र में अपने लघु उद्योग धन्धों के लिए बड़ा गौरवपूर्ण रहा है लघु उद्योग क्षेत्र औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है। पूँजी की कमी और भारी बेरोजगारी को देखते हुए लघु उद्योगों का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की विभिन्न औद्योगिक नीतियों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया और इनके विकास पर बल दिया गया है।

विश्लेषण एवं व्याख्या

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति तीव्र करने, कृषि पर जनसंख्या वृद्धि के दबाव को कम करने, निर्धनता एवं बेरोजगारी को कम करने, आर्थिक विषमता में कमी लाने एवं आत्म-निर्भरता की प्राप्ति के लिए औद्योगिक विकास अति आवश्यक है। भारत एवं अन्य विकासशील देशों में जहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, के संतुलित, सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण औद्योगीकरण एक बहुत समर्थन प्राप्त साधन है, क्योंकि

इसके माध्यम से ग्रामीण विकास में जहाँ एक ओर बेरोजगारी को विभिन्न प्रकार का रोजगार सुलभ होता है, तो दूसरी ओर ग्रामीण सेवाओं या सुविधाओं की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होता है।

निचला गंगा-घाघरा दोआब में औद्योगिक स्थिति :

उद्योग के क्षेत्र में निचला गंगा-घाघरा दोआब सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से स्थापित कारखानों की संख्या नितान्त अपर्याप्त है। इस क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या केवल 2.1 है जबकि पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश में यह औसत क्रमशः 9.7 तथा 7.7 है। प्रति लाख जनसंख्या पर कारखानों में लगे व्यक्तियों की संख्या 225 है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं मध्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र में यह 718 तथा 587 है।¹

कारखानों की कमी होने के कारण अकुशल श्रमिक बड़ी संख्या में देश के पश्चिमी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तरांचल तथा इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में रोजगार की खोज में जाने को विवश होते हैं।

निचला गंगा-घाघरा दोआब चीनी उद्योग में अग्रणी हैं। इस क्षेत्र में 3 चीनी मिलें स्थापित है। इन चीनी मिलों की वर्तमान पेराई क्षमता 1808 टी.सी.

डी. है। इस क्षेत्र की अधिकांश कार्यरत चीनी मिलें या तो अपनी संस्थापित क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं या रुग्ण हैं। निचला गंगा-घाघरा दोआब का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग हथकरघा उद्योग है। उल्लेखनीय है कि बनारस-मऊ और आजमगढ़ क्षेत्र में स्थित कालीन उद्योग विश्वविख्यात है। साथ ही अध्ययन क्षेत्र रेशम उत्पादन में भी अग्रणी रहा है किन्तु कई कारणों से यह उद्योग इस क्षेत्र में उतना विकसित नहीं हो सका, जितना होना चाहिए था।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आधुनिकता की दौड़ में हथकरघा उद्योग का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। हथकरघा उद्योग के लिए विद्युत मोटर चालित यंत्र अभिशाप साबित हुआ है। हथकरघा बुनकर समाज में गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला एक मेहनतकश वर्ग है। इनका शोषण साहूकार तथा बिचौलिये दोनों ही करते हैं। एक अनुमान के अनुसार कम से कम दस करोड़ रुपये की सरकारी देनदारी बुनकरों के उत्तरदायित्व में है। आज बुनकरों की दशा यह हो गई है कि उन्हें कोई बैंक ऋण देने को तैयार नहीं है। निचला गंगा-घाघरा दोआब में लगभग 58 हथकरघा समितियां तथा 34 पावरलूम समितियां रजिस्टर्ड हैं जबकि मात्र 21 हथकरघा तथा 2 पावरलूम समितियां सक्रिय हैं। साथ ही बुनकरों के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता के परिणामस्वरूप बुनकर समुदाय अब इस व्यवसाय से पलायन

करने लगा है।

लेकिन बुनकरों के सामने बिजली आपूर्ति प्रमुख समस्या है। बुनकरों द्वारा बिजली के बिलों की अदायगी न कर पाने से बिजली विभाग ने विद्युत आपूर्ति बंद कर दी है। अनुमान है कि 23 करोड़ रुपये बिजली विभाग का बुनकरों के जिम्मे बकाया है। इस प्रकार निचला गंगा-घाघरा दोआब के दोनों प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग और हथकरघा उद्योग घोर संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

उद्यानीकरण :-

निचला गंगा-घाघरा दोआब के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी जोत होने के कारण कृषि फसलें उनके आर्थिक उन्नयन में कम लाभकारी हैं। कुपोषण से बचाव की दृष्टि से भी फल एवं सब्जियों का विशेष महत्व है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और बंजर भूमि, परती भूमि, एवं चारागाह भूमि का सदुपयोग करके फल उद्यानीकरण को अपरिहार्य बनाया जा सकता है। साथ ही श्रम पलायन रोकने, इकाई क्षेत्र से अधिकाधिक आय प्राप्त करने तथा स्थानीय रोजगार सृजन में भी नकदी फसलों जैसे फल, शाक-भाजी, मसाला, पुष्प उत्पादन के साथ-साथ कुटीर उद्योग के रूप में, मशरूम उत्पादन एवं पान की खेती बहुपयोगी पाई गई है जिनका समावेश आर्थिक विषमता एवं

पिछड़ेपन को दूर करने हेतु आवश्यक है।

निचला गंगा-घाघरा दोआब औद्यानिकी विकास की दृष्टि से प्रदेश का एक उद्यान प्रमुख क्षेत्र है। जहां क्षेत्रीय समस्याओं के निदान, सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शोध परिणामों के प्रायोगिक कार्य संचालित किए जा सकते हैं।

औद्यानिक इकाइयाँ :-

निचला गंगा-घाघरा दोआब के विकास की दृष्टि से 6 राजकीय पौधशालाएं तथा 2 राजकीय आलू बीज सम्बर्द्धन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। राजकीय पौधशालाओं से उत्कृष्ट एवं रोगमुक्त फलदार पौधे एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। एवं कृषकों के मध्य उनका वितरण कराया जाता है। इन क्षेत्रों में कुल 43 निजी शीतगृह कार्यरत हैं जिनकी भण्डारण क्षमता लगभग 2.13 लाख टन है। औद्यानिक उत्पादों के संरक्षण एवं लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु 12 फल संरक्षण केन्द्र तथा 1 विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है। इन केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थी अपने उत्पाद को प्रसंस्कृत कराते हुए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर निजी उद्यमिता विकास का कार्य प्रारम्भ करते हैं।²

निचला गंगा-घाघरा दोआब में मधुमक्खी पालन की सम्भावनाओं को देखते हुए आजमगढ़, मऊ एवं बलिया में उपकेन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं। मशरूम विकास की दृष्टि से वाराणसी में एक स्पान उत्पादक प्रयोगशाला

की स्थापना की गई है, जहां से मशरूम उत्पादक स्पान एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर उद्यम स्थापित कर सकते हैं। औद्योगिक उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से अध्ययन क्षेत्र में 19 औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जिन्हें क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है।

औद्योगिक समन्वित विकास हेतु सुझाव :-

निचला गंगा-घाघरा दोआब में समन्वित औद्योगिक विकास की दृष्टि से निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं:

1. न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर संहत विकास खण्डों में औद्योगिक विकास कार्यकर्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए प्रसार कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना।
2. पंजीकृत औद्योगिक सहकारी समितियों को क्रियाशील बनाने हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु अनुदान की व्यवस्था करना।
3. उत्कृष्ट पौधरोपण सामग्री का विकास एवं कृषकों में आवश्यकतानुसार उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. बहुदेशीय शीतगृहों का विकास।
5. वाराणसी एवं गाजीपुर में फल तथा सब्जी उत्पादन, बलिया व

सिकन्दरपुर में जैट्रोफा तथा गुलाब के फूल का उत्पादन एवं आजमगढ़ में अमरूद, आम, केला आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देना।

6. गैर सरकारी संस्था एन. जी. ओ. के माध्यम से औद्यानिक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं उन्हें यथा आवश्यक अनुदान/राज्य सहायता दिया जाना।
7. मीन पालन को अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में विकसित करना।
8. प्रमुख औद्यानिक क्षेत्रों में फल, शाक, भाजी के सुगम विपणन हेतु मण्डी स्थल विकसित करना।
9. कृषकों की सहभागिता बढ़ाने हेतु ऋण प्रक्रिया को सरल करना।
10. निर्यात सम्भावनाओं की तलाश एवं बढ़ावा देना।

त्वरित विकास हेतु सुझाव :-

निचला गंगा-घाघरा दोआब के त्वरित विकास हेतु निम्न सुझाव सहायक होंगे :

1. निचला गंगा-घाघरा दोआब से कृषि श्रमिकों के पलायन को रोकने के

- लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाया जाए ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और निवेश का स्तर बढ़ सके।
2. निचला गंगा-घाघरा दोआब में चिरकालिक औद्योगिक स्थिरावस्था के लिए उत्तरदायी कारकों का अभिज्ञान किया जाए तथा उसके आधार पर एक प्रभावी रणनीति का प्रतिपादन किया जाय।
 3. निचला गंगा-घाघरा दोआब में औद्योगिक बाह्य संरचना को विकसित किया जाना चाहिए जिससे उद्योगपति इस क्षेत्र में पूंजी निवेश कर उद्योगों को बढ़ावा दे सकें। इस क्षेत्र में खादी एवं लघु ग्रामीण उद्योगों की अधिक प्रोन्नत करने की आवश्यकता है जो अपेक्षाकृत रोजगार सृजन में भी सहायक होंगे। रूग्ण उद्योगों को विशेष सुविधाओं तथा सहायता से रूग्णता-मुक्त किया जाना चाहिए तथा स्थापित उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
 4. औद्योगिक वित्त का पर्याप्त एवं सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संरचना में किस प्रकार के बदलाव लाए जाएं, इस पर विचार किया जाना चाहिए।
 5. अलाभप्रद उद्योगों में पूंजी निवेश को बन्द करने तथा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः संचालित करने हेतु कार्यशील उपायों की सम्भावना

ढूढी जानी चाहिए ।

6. निचला गंगा-घाघरा दोआब के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय सलाहकार समिति गठित की जानी चाहिए जो क्षेत्र में गत वर्षों के व्यय प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए पूंजी निवेश तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत कर सके ।

ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएँ गरीबी, बेरोजगारी और आय का असमान वितरण है। कृषि का तीव्रतम् विकास भी अकेले इसका निराकरण करने में असमर्थ है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रिया-कलापों का विकास आवश्यक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सकें तथा सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए उत्पादन के स्थान पर सम्पूर्ण जनसंख्या द्वारा उत्पादन सिद्धान्त का अनुपालन करके उत्पादन प्रक्रिया को ही सम्पत्ति के समान वितरण का माध्यम बना सकें। इस प्रकार की उत्पादकता प्रक्रिया वृहद उद्योगों अब तक खरबों रूपयों के विनियोजन के बावजूद देश के केवल एक प्रतिशत लोगों को ही प्रभावी रोजगार प्रदान कर सकी है।

कुटीर उद्योगों का विकास :-

विकेन्द्रीकृत ग्रामीण औद्योगीकरण ग्रामीण क्षेत्रों तथा उसके निवासियों का केवल विकास ही नहीं करता है, अपितु नगरीय सघनता, नयी बस्तियों के अस्वस्थकर दशाओं में निवास तथा बड़े कारखानों द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं का निराकरण करके इन समस्याओं पर होने वाली सामाजिक आय की मात्रा को बहुत कम कर देता है तथा ग्रामीण बेरोजगारी को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके ग्रामीण उद्योगों के लिए उनके स्थायी प्रयास को रोकता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व निचला गंगा-घाघरा दोआब में उद्योग-धन्धों का अभाव था। किन्तु कुटीर उद्योग का विकास चरम सीमा पर था। इस क्षेत्र में गन्ने की खेती प्राचीन काल से ही होती चली आ रही है, अतः गन्ने पर आधारित चीनी एवं गुड़ उद्योग विकसित था। जिसे रेल एवं जल मार्ग द्वारा कोलकाता भेजा जाता था। यहाँ की चीनी अमेरिका को निर्यात की जाती थी। किन्तु 1935-36 तक यह उद्योग अवनति को प्राप्त हो गया।³

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात क्षेत्र में औद्योगिक विकास कुछ तीव्र गति से हुआ सरकारी संरक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के फलस्वरूप कुटीर उद्योग का स्थायीकरण होने लगा। कृषि उत्पादों पर आधारित चावल, दाल, आटा, तेल, एवं खाड़सारी उद्योग आदि कुटीर उद्योग के रूप में सम्पूर्ण

निचला गंगा-घाघरा दोआब के जनपदों में फैले। इसके अतिरिक्त हस्तकरघा, चर्म उद्योग, मिट्टी के बर्तन, बॉस के टोकरे, मूंज की रस्सी, आइसक्रीम, रंग, अबीर, मोमबत्ती, बिन्दी, स्याही, मूर्तियां, बीड़ी, रूई धुनाई, कपड़े की रंगाई एवं छपाई साबुन दिया सलाई, सुगन्धित तेल, सिन्दूर, खराद, ड्रिलिंग एवं बिल्डिंग मैटेरियल, कुदाल एवं थ्रेसर, कालीन निर्माण, आभूषण निर्माण, पत्तल निर्माण, प्रिन्टिंग प्रेस, बैट्री निर्माण, गाड़ी मरम्मत, लकड़ी चिराई एवं फर्नीचर निर्माण सम्बन्धित कई अन्य उद्योग हैं। मुख्य रूप से अध्ययन क्षेत्र के वाराणसी, मऊ, और आजमगढ़ के कुछ नगरों में बनारसी साड़ी उद्योग अपने उत्कर्ष पर है। यहाँ की बनी हुई साड़ियों की माँग देश के हर क्षेत्र में है।

कृषि संसाधनों पर आधारित लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयाँ :-

कृषि उत्पाद से प्राप्त सामग्रियों को संसाधन के रूप में प्रयोग कर उस पर आधारित उद्योग कृषि संसाधनों पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे तेल मिल, दालमिल, चूड़ामिल, चावल मिल एवं आटा चक्की आदि जिनका विवरण निम्नवत है।

- 1. तेल मिल :-** वर्तमान समय में निचला गंगा-घाघरा दोआब में पंजीकृत तेल मिलों की संख्या 210 है जिनमें से 152 तेल मिल ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 58 नगरीय क्षेत्रों में स्थित है। सबसे अधिक तेल मिल आजमगढ़

जनपद में अवस्थित है। चूँकि यह क्षेत्र कृषि संसाधनों पर आधारित है। इसलिए यहाँ मुख्य रूप से सरसों का उत्पादन कर उससे तेल निकाला जाता है। इन तेल मिलों की कुल कार्यशील पूँजी 36.28 लाख तथा इसमें कार्यरत लोगों की संख्या 632 है।

- 2. दाल, आटा एवं चावल मिल :-** निचला गंगा-घाघरा दोआब में दाल, आटा, चावल से सम्बन्धित पंजीकृत उद्योग धन्धों की संख्या 185 है। जिनमें से 102 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 83 मिले नगरीय क्षेत्रों में स्थापित है। इनमें कुल 1918 लोग कार्यरत हैं। इन उद्योगों में कुल 42.42 लाख कार्यशील पूँजी लगी हुई है। स्मरणीय यह है कि यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन अधिक होने के कारण लोग स्थानीय रोजगार में लगे हुए है।

गैर कृषि संसाधनों पर आधारित लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयाँ:-

अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा-घाघरा दोआब में वर्तमान समय में गैर कृषि संसाधनों पर आधारित उद्योगों के अन्तर्गत मुख्य रूप से इन्जिनियरिंग, सामानों की मरम्मत, बैटरी निर्माण, आटो मरम्मत, प्रिंटिंग वर्क्स, लकड़ी के फर्नीचर निर्माण, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिक वर्क्स, फोटोग्राफी, वेल्डिंग, ग्रिलनिर्माण, फोटोस्टेट एवं कालीन निर्माण है। इन उद्योगों की औद्योगिक

इकाईयों का विवरण निम्नवत् है :

- 1. बैटरी निर्माण उद्योग :-** अध्ययन क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योग के रूप में बैटरी निर्माण का कार्य भी उद्योग का रूप ले लिया है। यहाँ पर बैटरी निर्माण की पंजीकृत 123 इकाईयाँ स्थापित है। जिनमें 85 नगरीय क्षेत्रों में तथा 38 ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती है। इन औद्योगिक इकाईयों में 41.34 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है। इस क्षेत्र में कार्यशील कुल व्यक्तियों की संख्या 678 है।
- 2. आटो मरम्मत केन्द्र :-** इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में कुल 165 पंजीकृत इकाईयाँ स्थापित है। जिनमें से 51 इकाईयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 115 इकाईयाँ नगरीय क्षेत्रों में पाई गई है। आटो मरम्मत उद्योग में कुल 135.33 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है। तथा कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 725 है जो आटो मरम्मत का कार्य करते है।
- 3. प्रिंटिंग वर्क्स :-** निचला गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत प्रिन्टिंग वर्क्स की इकाईयाँ 63 है। इस उद्योग में कुल 65.43 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है। प्रिन्टिंग वर्क्स में कार्यरत लोगों की संख्या 168 है। चूँकि यह कार्य अब उद्योग का रूप ग्रहण कर

- लिया है। इस लिए इस क्षेत्र में भी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
4. **लकड़ी से फर्नीचर निर्माण :-** अध्ययन क्षेत्र में पंजीकृत लकड़ी से फर्नीचर की 231 इकाईयाँ स्थापित है इन इकाईयों में 78.71 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है जिसमें 1103 व्यक्ति फर्नीचर उद्योग में लगे हुए है। जो लकड़ी से बने समान बेड, चौकी, कुर्सी मेज, दरवाजा, खिड़की इत्यादि का निर्माण करते है। इन उद्योगों में प्रमुखतया स्थानीय लकड़ियों (शीशम, महुआ, आम, सागौन, साखू) को ही उपयोग में लाया जाता है।
 5. **इलेक्ट्रानिक्स वर्क्स :-** निचला गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स की 289 पंजीकृत इकाईयाँ स्थापित है। इन इकाइयों में 132.03 लाख पूँजी का निवेश हुआ है। तथा इलेक्ट्रानिक्स वर्क्स में लगे कुल व्यक्तियों की संख्या 1250 हैं इलेक्ट्रानिक्स का कार्य भी यहाँ पर तीव्र गति से अग्रसर है।
 6. **रेडीमेड वस्त्र :-** इसके अन्तर्गत छोटे-छोटे उद्योगों कपड़ों की सिलाई इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा-घाघरा दोआब में कुल 291 पंजीकृत रेडीमेड वस्त्र की इकाईयाँ

- स्थापित है। जिनमें 98.20 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है तथा इस उद्योग में लगे लोगों की संख्या 1085 है।
7. **इंजिनियरिंग वर्क्स** :- अध्ययन क्षेत्र में इंजिनियरिंग कार्य के लिए नगरीय क्षेत्रों में कुल 219 पंजीकृत इकाईयाँ स्थापित है। जिसमें कुल 168.32 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है। इस उद्योगों में लगे हुए लोगों की संख्या 905 है।
 8. **फोटो स्टेट** :- निचला गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय केन्द्रों में फोटो स्टेट की कुल 168 पंजीकृत इकाईयाँ स्थापित है जिसमें कुल 250.73 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है फोटो स्टेट उद्योग में कुल 563 लोग कार्यरत है।
 9. **बेकरी** :- बेकरी के अन्तर्गत निचला गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय क्षेत्रों में कुल 198 पंजीकृत लघु उद्योग स्थापित है जिसमें कुल 61.31 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है। एवं इस उद्योग में कुल 776 लोग कार्यरत है।
 10. **ऊनी दरी** :- अध्ययन क्षेत्र के नगरीय केन्द्रों में 97 ऊनीदरी के पंजीकृत इकाईयाँ स्थापित है। इनमें 18.15 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है तथा इस उद्योग में लगे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या 606 है।

11. **कालीन उद्योग :-** इस क्षेत्र में यह दोआब प्राचीन काल से अच्छी किस्म के कालीन का उत्पादक रहा है। परन्तु वर्तमान समय में बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना हो जाने के कारण इस उद्योग में कमी देखने को मिलती है। वर्तमान समय में कुल पंजीकृत कालीन के इकाईयों की संख्या 305 है जिसमें 67.32 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है। तथा इन इकाईयों में 1812 व्यक्ति कार्यरत है।
12. **चादर निर्माण :-** लघु उद्योग के रूप में चादर निर्माण का कार्य भी प्रमुख है। निचला गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय क्षेत्रों में कुल 90 चादर निर्माण की इकाईयाँ स्थापित की गई है। जिसमें 27.41 लाख रुपये पूँजी का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है। चादर निर्माण उद्योग में कुल 267 लोग कार्यरत है।
13. **सूती साल एवं धोती निर्माण :-** इस उद्योग की निचले गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय क्षेत्रों में कुल पंजीकृत संख्या 165 है। जिसमें कुल 31.87 लाख रुपये पूँजी का निवेश हुआ है। तथा कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 286 है।
14. **झाला एवं टप्स एवं चॉदी आभूषण :-** निचला गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय केन्द्रों में पंजीकृत 135 औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित है। इस

क्षेत्र में कुल 112.65 लाख पूँजी का निवेश हुआ है। जिसमें 500 व्यक्ति कार्यरत हैं आभूषण उद्योग इस क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कर रहा है।

15. **अन्य उद्योग :-** निचला गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय क्षेत्रों में इन लघु एवं कुटीर उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग भी स्थापित है। इनके अन्तर्गत कुल 201 इकाईयाँ स्थापित है। जिसके अन्तर्गत कुल बाइंडिंग, स्प्रे पेंटिंग, एसी मरम्मत, बस गाड़ी मरम्मत, प्लास्टिक के खिलौने, स्टील बाक्स एवं स्टील आलमारी, साइकिल बाडी, रिक्सा बाडी निर्माण आदि विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग स्थापित है। जिनमें 689 लोग कार्यरत है। इन उद्योगों में कुल 118.77 लाख रूपये पूँजी का निवेश हुआ है।⁴

इस प्रकार निचला गंगा-घाघरा दोआब में अवस्थित उद्योग, औद्योगीकरण की प्रक्रिया नगरीय स्थानों में उद्यमशीलता एवं विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण विभिन्न जनपदों के नगरीय केन्द्रों में भिन्न-भिन्न रूपों में मिलता है। जिनका विवरण निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है।

जनपद मरु : उद्यम एवं विकास के प्रति दृष्टिकोण :-

एक जनपद के रूप में मऊ का इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है। परन्तु मानव अधिवास का इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ पर औद्योगिक विकास का मुख्य आधार कृषि है। कृषि पर आधारित उद्योगों की बहुलता इस क्षेत्र में परिलक्षित होती है। परन्तु औद्योगिक दृष्टि से यह अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कुछ स्थानों पर सूती वस्त्र उद्योग एवं साड़ियाँ बनाने का उद्योग तीव्र गति से विकसित हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनपद का औद्योगिक स्वरूप काफी बदल गया है।

पूर्वी उत्तर-प्रदेश की इस नव-सृजित जनपद की पहचान हैण्डलूम की साड़ियों के उद्योग के रूप में है। जिसे "टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज" के नाम से जाना जाता है। 'टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज इस शहर के ताने-बाने में कुटीर उद्योग के रूप में समाहित है।⁵

आज यहाँ की टेक्सटाइल्स काटेज इन्डस्ट्रीज में मानव निर्मित फाइबर (नाइलोन, पालिस्टर) का प्रयोग बहुतायत से होता है यहाँ उत्पादित साड़ियों में ताना नाइलोन की होती है। तो बाना में विभिन्न प्रकार के पालिस्टर का प्रयोग बहुतायत से होता है। वर्तमान में यहाँ 135 न0 का यार्न बहुतायत से उपयोग हो रहा है। मऊ जनपद में यह टेक्सटाइल्स उद्योग ही अन्य उद्योगों के लिए जीवन धारा का काम करता है और इससे बहुत से सहायक उद्योग

फल-फूल रहे है।⁶

जनपद में पावरलूम के बाद जिन उद्योगों की बहुलता है, उनमें मैटलिक यार्न यूनिट, जरी मैनुफैक्चरिंग यूनिट व यार्न डबलिंग ट्रिसटिंग यूनिट सरीखे औद्योगिक इकाइयाँ सम्मिलित है। इस तरह के सैकड़ों यूनिट जनपद मुख्यालय एवं आस-पास के गांवों में लगी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि मऊ जनपद में उत्पादित साड़ियों में बुनकर अपनी कला से चार चौद लगा देते है। जिस तरह के ऑचल एवं बेलबूटे यहाँ के साड़ियों पर बुने जाते है। वे अत्यन्त दुर्लभ है। अध्ययन क्षेत्र के टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज में तीन बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ भी यहाँ कार्यरत है। जिसमें दो सरकारी तथा एक गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है।

यहाँ सूत बनाने की तीनों इकाइयाँ में सबसे पुरानी इकाई स्वदेशी कॉटन मिल है, जिसकी स्थापना 1969 में जयपुरिया घराने ने की थी। 25000 तकुओं वाली इस मिल का केन्द्र सरकार ने 1978 में अधिग्रहण कर लिया। लगभग 6200 कि०ग्रा० सूत का प्रतिदिन निर्माण करने वाली इस मिल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती।

कताई मिल की दूसरी बड़ी यूनिट उत्तर प्रदेश सरकार की परदहा स्थित राज्य कताई मिल है। 50000 तकुओं वाली इस सूत कताई मिल्स की

स्थापना 1975 में हुई थी। 1977 से यह मिल उत्पादन कार्य कर रही है। पिछले कुछ दिनों से सरकार इसे निजी हाथों में सौपना चाहती हैं। कॉटन मिल की तीसरी इकाई महावीर इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेज के नाम से स्थानीय औद्योगिक स्थान में स्थित है।

टेक्स्टाइल इन्डस्ट्रीज से अलग हटकर यहाँ मिनी आटा मिल, कूलर इन्डस्ट्रीज, पशु आहार के अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में देशी शराब बनाने की एक यूनिट घोसी तहसील के जामगढ़ (जामडीह) गाँव में कार्यरत हैं इसके अतिरिक्त घोसी तहसील मुख्यालय पर सहकारी क्षेत्र में स्थापित किसान सहकारी चीनी मिल एवं चीनी मिल की डिस्टीलरी यूनिट प्रमुख उद्योगों की इकाई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जनपद में औद्योगिक विकास कुछ तीव्र गति से हुआ। सरकार द्वारा संरक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के फलस्वरूप कुटीर उद्योग का स्थानीयकरण होने लगा। कृषि उत्पादों पर आधारित चावल, दाल, आटा, तेल एवं खाण्डसारी आदि कुटीर उद्योग सम्पूर्ण जनपद में फैले। इसके अतिरिक्त हस्तकरघा, चर्मउद्योग, मिट्टी के बर्तन, बांस टोकरे, मुंज की रस्सी, आइसक्रीम, रंग, अबीर, मोमबत्ती, बिन्दी, स्याही, मूर्तियां, बीड़ी, रूई, धुनाई, कपड़े की रंगाई एवं छपाई, साबुन, दियासलाई,

सुगन्धित तेल, सिन्दुर, खराद, ड्रिजिंग एवं बिल्डिंग मैटेरियल, कुदाल एवं थ्रेसर, कालीन निर्माण, आभूषण निर्माण, पत्तल निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, बैट्री निर्माण, गाड़ी मरम्मत, लकड़ी चिराई एवं फर्नीचर निर्माण संबंधी कई अन्य उद्योग हैं, जिनके मुख्य केन्द्र मऊ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक गांवों में कुटीर उद्योग चल रहे हैं।

निचला गंगा-घाघरा दोआब क्षेत्र में जनपद मऊ के विभिन्न नगरीय केन्द्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की कुल 332 इकाइयाँ स्थापित हैं। जिसमें कुल 26 औद्योगिक इकाइयाँ कृषि पर आधारित उद्योग से संबंधित है, जबकि 306 औद्योगिक इकाइयाँ गैर कृषि कार्यों के उद्योगों पर आधारित है। कृषि पर आधारित उद्योगों में कुल कार्यशील जनसंख्या 65 है। दोहरीघाट, घोसी और मऊनाथ भंजन ऐसे नगरीय केन्द्र हैं जहाँ पर 4-4 कृषि आधारित उद्योग लगे हुए हैं, वहीं खैराबाद, अमील, कोपगंज एवं कुर्था जाफरपुर ऐसे नगरीय केन्द्र हैं जहाँ पर मात्र 2-2 कृषि आधारित पंजीकृत उद्योग ही पाये जाते हैं। मऊ जनपद के नगरीय केन्द्रों में कुल गैर कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों की संख्या 306 हैं, जिसमें कुल 1222 व्यक्ति कार्यरत हैं। सबसे अधिक मऊ नाथ भंजन नगरीय केन्द्र में 61 गैर कृषि पर आधारित उद्योग पंजीकृत हैं। जहाँ पर कुल 282 लोग कार्यरत हैं। जबकि अदरी ऐसा नगरीय केन्द्र है जहाँ पर मात्र 18 गैर कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है जिसमें

कुल 79 व्यक्ति कार्यरत है।

औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं कार्यरत कुल कारखानों की संख्या 2005-06 में 49 थी।⁷ पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2005-06 में 2336 है तथा उनमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7635 है। जनपद मऊ में 2005-06 वृहद कार्यरत थे।⁸ तथा खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या 2005-06 में 260 तथा कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 1020 थी।⁹

इस प्रकार उद्योग की दृष्टि से मऊ जनपद धीरे-धीरे अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर है। यहाँ पर उद्यमशिलता को विकसित कर इस क्षेत्र का कायापलट किया जा सकता है।

बलिया : उद्यम एवं विकास के प्रति दृष्टिकोण :-

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जनपद में उद्योग धन्धों का अभाव था, किन्तु कुटीर उद्योगों का विकास चरम सीमा पर था। इस क्षेत्र में गन्ने की खेती प्राचीन काल से होती चली आ रही है। अतः गन्ने पर आधारित चीनी एवं गुड़ उद्योग हनुमानगंज, बॉसडीह, नवानगर, मनियर, कोटवारी आदि स्थानों पर विकसित थे। रसड़ा एवं बॉसडीह तहसीलों में सीरा उद्योग का भी विकास हुआ था जिसे रेल एवं जल मार्ग द्वारा कोलकाता को भेजा जाता था। यहाँ

की चीनी अमेरिका को निर्यात की जाती थी किन्तु वर्ष 1935–36 तक यह उद्योग अवनति को प्राप्त हो गया।

जनपद में जुलाहे एवं कोरिस जातियों द्वारा मोटे सूत के कपड़े भी पर्याप्त मात्रा में तैयार होते थे। जिसके मुख्य केन्द्र बैरिया, दुबहर, बलिया, बॉसडीह, रेवती, सहतवार, मनियर, सिकन्दरपुर, रसड़ा आदि थे साथ ही साथ नील उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ था। इसके साथ ही सिकन्दरपुर में गुलाबसकरी एवं इत्र, तुर्तीपार में सफेद धातु के बर्तन, बलिया में कड़ाही पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन पर्याप्त मात्रा में होता था और वहाँ से अन्य क्षेत्रों को भेजा जाता था।¹⁰

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनपद में औद्योगिक विकास कुछ तीव्र गति से हुआ सरकार संरक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के फलस्वरूप कुटीर उद्योग का स्थानीयकरण होने लगा। कृषि उत्पादनों पर आधारित चावल, दाल, आटा, तेल एवं खाण्डसारी आदि कुटीर उद्योग के रूप में सम्पूर्ण जनपद में फैले। इसके अतिरिक्त हथकरघा चर्म उद्योग, मोमबत्ती, मिट्टी के बर्तन, बॉस के टोकरे, मूज की रस्सी, आइसक्रीम रंग अबीर, बिन्दी, स्याही, मूर्तिया, बीड़ी, रूई धुनाई, कपड़े की रंगाई एवं छपाई साबुन, माचिस, सुगन्धित तेल, सिन्दुर, खाद, ड्रिलिंग एवं बिल्डिंग मैटेरियल, कुदाल एवं थ्रेसर

कालीन, निर्माण, आभूषण निर्माण, पत्तल निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, बैट्री निर्माण, गाड़ी मरम्मत, लकड़ी चिराई एवं फर्नीचर, निर्माण सम्बन्धी कई अन्य उद्योग हैं, जिनके मुख्य केन्द्र बलिया, रसड़ा, बॉसडीह, मनियर, रतसड़, नगरा एवं रानीगंज इत्यादि हैं। उसके अतिरिक्त भी अनेक गांवों में कुटीर उद्योग चल रहे हैं।¹¹

उपरोक्त कुटीर एवं लघु उद्योगों के अतिरिक्त क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को दृष्टिगत रखकर सन् 1975 में रसड़ा में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना की गई। जो जनपद का एक मात्र सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसमें कुल पूर्णकालिक एवं अंश कालिक कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 1140 है। इस चीनी मिल की क्षमता 1258 मिट्टिकटन गन्ना पेराई प्रतिदिन है। यहाँ से चीनी विदेशों को निर्यात की जाती है।

बलिया क्षेत्र का दूसरा बड़ा एवं महत्वपूर्ण उद्योग रवि फर्टिलाइजर है। जिसकी स्थापना फेफना में वर्ष 1979 में की गई। इस कारखाने में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैश का सम्मिश्रण तैयार किया जा रहा है। किन्तु वर्तमान में यह कारखाना बन्द पड़ा है। इस कारखाने की क्षमता 2000 बोरी खाद प्रति वर्ष तैयार करने की थी रसड़ा में एक कटाई मिल की भी स्थापना हुई है। जो जनपद के औद्योगीकरण में एक नई कड़ी कही जायेगी

परन्तु वर्तमान समय में यह बन्द पड़ी है। इसके अतिरिक्त फेफना में खादी आश्रम का कारखाना भी हैं।

जनपद – गाजीपुर : उद्यम एवं विकास के प्रति दृष्टिकोण :-

गाजीपुर जनपद में कृषि का मजबूत आधार हैं तथा सिंचाई, सड़क आदि की पर्याप्त अच्छी सुविधाएं है। परन्तु औद्योगिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ जनपद है। यहां पर उद्यमिता की कमी और स्थानीय लोगों के तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण गाजीपुर जनपद में औद्योगिक विकास की गति मन्द है। गाजीपुर बहुत पहले से गुलाब जल तथा इत्र बनाने का प्रसिद्ध स्थान रहा है। पिछली शताब्दी में ब्रिटीश शासन ने इत्र के स्थानीय उद्योग को उसकी गुणवत्ता के कारण लन्दन में पुरस्कृत किया था लेकिन समय के साथ-साथ इत्र के लिए उगाये जाने वाले आवश्यक पौधों की खेती में कमी होती गई फलस्वरूप इसका भी निरन्तर ह्यास होता गया।

इसी प्रकार गाजीपुर में चीनी उद्योग भी विकसित अवस्था में था लेकिन वर्तमान समय में इसकी कोई फैक्ट्री जनपद में नहीं है। वर्तमान में सैदपुर में सेंधा नमक का निर्माण होता है। बहराबाद में कपड़े बुनने के हस्तशिल्प का केन्द्र है। गाजीपुर में करीब 47 पंजीकृत फैक्ट्रियां है जिसमें लगभग 5000 श्रमिक काम करते है। जनपद के कुटीर उद्योगों में चावल, का उत्पादन खेती

से सम्बन्धित सम्मान, फर्नीचर, चमड़ा, खाड़सारी, स्टील, स्टील की आलमारी, मोमबत्ती, खाना बनाने के बर्तन, हैण्डलूम के कपड़े आदि का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जनपद में रंग बनाना एवं उसकी पैकिंग तथा चीनी बनाना तथा आटा, दाल चक्की आदि के भी लघु-उद्योग कार्यरत है। पीढ़ी दर पीढ़ी कुटीर उद्योगों के रूप में हस्तशिल्प उद्योगों में गुड़ बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सरसों का तेल निकालना, जूते बनाना, कम्बल एवं कालीन निर्माण चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना आदि उद्योग प्रमुख है।

उपरोक्त कुटीर एवं लघु उद्योग के अतिरिक्त जनपद में सबसे बड़े उद्योग के रूप में अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर में, चीनी मिल, नन्दगंज में, उ० प्र० राज्य कर्ताई मिल बहादुरगंज में, गाजीपुर लार्ड्स डिस्टीलरी नन्दगंज में, गाजीपुर सगुन इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० राजदेपुर रौजा गाजीपुर, सपन केटिल, फीड्स, राजदेपुर, रौजा, गाजीपुर, शैवाल, केमिकल, बंशीबाजार गाजीपुर, बाराई प्लास्ट, प्राइवेट लिमिटेड, मुगलानी चक गाजीपुर, कामाख्या फ्रेशफूड लिमिटेड भदौरा, कामाख्या एग्रो इण्डस्ट्रीज भदौरा में महत्वपूर्ण उद्योग है।

गाजीपुर में अफीम का निर्यात तथा अफीम एवं वनस्पतियों के अर्क (छाल) से दवा निर्माण का कार्य सरकारी स्तर पर किया जाता है। अफीम के

फूल से ये दवाइयां बनती है। उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर एवं बाराबंकी तथा फैजाबाद चार क्षेत्रों में अफीम की खेती के उद्योग से सम्बन्धित सरकारी विभाग को बांटा गया है। प्रत्येक वर्ष भारत की सरकार ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करती है जहां अफीम की खेती की जा सकती है। और यह भी निर्धारित करती है कि एक क्षेत्र में अफीम की कितनी खेती की जा सकती है भारत सरकार द्वारा काश्तकारों को लाइसेन्स निर्गत किये जाते हैं जो अफीम की खेती करना चाहते हैं। अफीम उत्पादन सर्वप्रथम गाजीपुर में 1820 में बनारस अफीम एजेन्सी के नाम से स्थापित हुआ था और आज देश में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन यहीं होता है अफीम की फैक्ट्री के अनेक गोदाम तथा कार्यशालाएं गाजीपुर में अवस्थित हैं। रेलवे स्टेशन से अफीम अन्य राज्यों को निर्यात किया जाता है और पूरे देश में पकड़ा गया अफीम यहीं परिष्कृत होने के लिए भेजा जाता है अफीम अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है।¹²

इस प्रकार निचला गंगा-घाघरा दोआब में स्थित गाजीपुर जनपद में कुल नगरों की संख्या 6 है ये नगर क्रमशः सादात, सैदपुर, गाजीपुर, जंगीपुर, बहादुरपुर एवं मोहम्मदाबाद हैं। इन विभिन्न नगरीय केन्द्रों में कुल 271 लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हैं। जिसमें कृषि पर आधारित पंजीकृत उद्योगों की संख्या 26 है। जिसमें जहाँ पर कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 60 एवं गैर कृषि पर आधारित जनसंख्या 1018 है। कृषि पर आधारित

उद्योग सबसे अधिक गाजीपुर नगरीय केन्द्र में 8 है। जहाँ पर 18 लोग इन उद्योगों में लगे हुए है। तत्पश्चात सैदपुर ऐसा नगरीय केन्द्र है जहाँ पर 5 पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योग की इकाईयाँ स्थापित है यहाँ पर 13 लोग इस उद्योग में कार्यरत है सबसे कम औद्योगिक इकाईयाँ बहादुरपुर में मात्र 2 है। जहाँ पर कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 4 हैं।

गाजीपुर जनपद नगरीय केन्द्रों में गैर कृषि आधारित उद्योगों की संख्या 245 है जिसमे कार्यशील उद्योगों की संख्या सबसे अधिक 69 है, जहाँ पर कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 309 है। बहादुरपुर एवं जंगीपुर ऐसे नगरीय केन्द्र है जहाँ पर क्रमशः 19 एवं 21 गैर कृषि पर आधारित उद्योग लगे हुए है एवं यहाँ पर कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 81 एवं 89 है।

जनपद आजमगढ़ : उद्यम एवं विकास के प्रति दृष्टिकोण :-

आजमगढ़ में औद्योगिक आधार बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन जिले में कृषि का आधार बहुत अच्छा है। कृषि कार्य की अधिकता और उद्योगों की कमी के कारण दोनों के बीच जो अन्तर आजमगढ़ जनपद में दिखाई देता है वह आजमगढ़ के औद्योगीकरण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। आजमगढ़ में प्रमुख उद्योग निम्न लिखित है –

1. किसान सहकारी चीनी मिल लि० सठियाँव आजमगढ़

2. बनारसी साड़ी उद्योग मुबारकपुर
3. काले बर्तन बनाने का उद्योग निजामाबाद
4. खाद्य एवं उससे सम्बन्धित उत्पादन
5. रसायन और सम्बन्धित उत्पादन¹³

किसान सहकारी चीनी मिल आजमगढ़ मऊ मार्ग पर आजमगढ़ से 13 किमी पर दूर स्थित है। इसकी स्थापना 1975 ई0 में हुई थी। इसका प्रमुख उत्पादन पक्की चीनी, राब आदि है। चीनी मिलों के द्वारा निस्तारित पदार्थों से खाद बनाई जाती है। बनारसी साड़ी उद्योग एक हस्तशिल्प उद्योग है। यह जिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें सर्वाधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं।”

मुबारकपुर एक ऐसा गांव है जिसमें इस हस्तशिल्प में सर्वाधिक परिवार लगे हुए हैं। मुबारकपुर के अतिरिक्त जहानागंज, जीयनपुर आदि स्थानों पर भी इस हस्तशिल्प का कार्य होता है। इस उद्योग में लगे हुए लोग अपने कार्य में दक्ष होते हैं, तथा ये लोग मिल में बने धागे का प्रयोग करते हैं। यद्यपि वे इस धागे को अपने घर में रंगते हैं। बड़े-बड़े गुच्छों के रूप में इन धागों को फैक्ट्रियों से मंगाया जाता है ,और फिर खोला जाता है। यह कार्य

बुनकर के घर वाले सदस्य करते हैं। रंगने के बाद धागे का प्रयोग बुनकर कपड़ा, साड़ी और लूंगी बनाने में करता है। राज्य सरकार द्वारा भी इस उद्योग को पोषित और सम्बर्द्धित किया जाता है। मुबारकपुर की बनारसी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।

जहाँ तक काले बर्तन बनाने का उद्योग है। ये आजमगढ़ जनपद का प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। बर्तनों को बनाने से प्राप्त आय से अनेक परिवार अपना गुजारा कर रहे हैं। सुन्दर एवं कलात्मक रूप में बर्तन बनाने का उद्योग निजामाबाद में है। जो विश्व में प्रसिद्ध है। चाय पीने के कुल्हड़, चीनी मिट्टी की कटोरियों तथा कलात्मक बर्तनों का निर्माण इस स्थान पर होता है। मिट्टी के बर्तन तथा मिट्टी से गणेश, लक्ष्मी, शिव, दुर्गा, सरस्वती आदि की मूर्तियों भी बनाई जाती है। मेले और त्यौहारों के दौरान इससे स्थानीय लोगों की अच्छी आय होती है।¹⁴

आजमगढ़ में काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बर्तनों को काला रंग चिकनी मिट्टी तथा सब्जियों के मिश्रण से बनाया जाता है तथा उसमें बर्तनों को डुबोया जाता है। इसके बाद बर्तनों को और सुन्दर बनाने के लिए पारा रंग और शीशा आदि का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में आजमगढ़ में बिस्कुट, टाफी, तथा

अन्य बेकरी, सम्मान बनाया जाता है। चीनी, मैदा, सुजी और घी इस उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। रसायन उद्योगों में मोमबत्ती, आयुर्वेदिक दवाईयाँ साबुन, इत्र, तेल, पेन्ट, आदि आजमगढ़ तथा फूलपुर में बनाया जाता है। इस उद्योग में मोम, रंग, कास्टिक सोडा आदि का उपयोग किया जाता है।¹⁵

इस प्रकार आजमगढ़ जनपद के नगरीय केन्द्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग के सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर नगरीय केन्द्रों में उद्योगों से स्पष्टतः है कि यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर नगरीय केन्द्रों में उद्योगों की सघनता में अत्यधिक अन्तर पाया जाता है। इसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

तहसील वाराणसी : उद्यम एवं विकास के प्रति दृष्टिकोण –

वाराणसी एक अति प्राचीन औद्योगिक नगर है। यहाँ पर अनेक प्रकार के लघु एवं कृषि उद्योगों का जाल मिलता है। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े कारखाने भी इस नगर में मिलते हैं। यहाँ पर औद्योगिक विकास का मुख्य आधार कृषि एवं इससे सम्बन्धित उत्पाद ही है। कृषि पर आधारित उद्योगों की बहुलता इस नगरीय केन्द्र का रीढ़ है। चूंकि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही अधिक है। जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योगों की संख्या बहुत कम है। वाराणसी नगर में मुख्य रूप से वाराणसी साड़ी उद्योग का विकास बहुत

प्राचीन काल से हो रहा है। परन्तु वर्तमान समय में सरकारी सुविधाओं की उदासीनता के कारण यह उद्योग भी दिन-प्रतिदिन अवनति के तरफ जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाइंडिंग, स्प्रे पेन्टिंग, ए0सी0 मरम्मत, बस-गाड़ी मरम्मत, प्लास्टिक के खिलौने, स्टील बाक्स, आलमारी, साइकिल बाड़ी, रिक्सा बाड़ी इत्यादि लघु एवं कुटीर उद्योग भी यहाँ पर स्थापित है।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के तहसील वाराणसी के नगरीय केन्द्र में कुल पंजीकृत कृषि पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों की संख्या 10 है, जिनमें कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 53 है। जबकि गैर कृषि पर आधारित उद्योगों की संख्या 86 है। जहाँ पर 378 व्यक्ति पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं।

केराकत : उद्यम एवं विकास के प्रति दृष्टिकोण –

निचला गंगा घाघरा दोआब में अवस्थित केराकत जौनपुर जनपद का एक नगरीय केन्द्र है जो जनपद से सुदूर उत्तर की तरफ अवस्थित है। यहाँ का आर्थिक विकास मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इसका मुख्य कारण नगरीय केन्द्रों के आस-पास भारी उद्योग का न होना है। चूंकि यह कृषिगत क्षेत्रों की गोद में बसा हुआ है। इस लिए यहाँ पर चावल मिल, दाल मिल, आटा मिल जैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों का ही विकास हो पाया है।

निचला गंगा-घाघरा दोआब में जौनपुर जनपद के केराकत तहसील को सम्मिलित किया गया है जिसमें एक मात्र केराकत नगरीय केन्द्र पाया गया है। केराकत नगरीय केन्द्र में कृषि पर आधारित पंजीकृत उद्योगों की संख्या 4 हैं जिसमें कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 9 है। यहाँ पर गैर कृषि पर आधारित पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योगों की संख्या 31 है। इन उद्योगों में 121 व्यक्ति कार्यरत है।

निचला गंगा-घाघरा दोआब : उद्यमशीलता एवं विकास के प्रति दृष्टिकोण

इस प्रकार किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति तीव्र करने, कृषि पर निर्भर जनसंख्या के दबाव को कम करने, निर्धनता एवं बेरोजगारी को कम करने, आर्थिक विषमता में कमी लाने एवं आत्म निर्भरता की प्राप्ति के लिए औद्योगिक विकास अति आवश्यक है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में औद्योगिक विकास एवं यहाँ पर निवास करने वाले लोगों में उद्यमशीलता को प्रभावी बनाकर निश्चित रूप से इस देश का कायापलट किया जा सकता है इसी प्रकार यह निचला गंगा-घाघरा दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। जहाँ पर प्रमुखतया कृषि कार्य की प्रधानता है। कृषि के अतिरिक्त व्यवसायिक क्षेत्रों में लगे लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। अध्ययन क्षेत्र के लोगों में प्रायः उद्यमशीलता का अभाव है। जिससे यहाँ औद्योगिक विकास की गति बहुत

धीमी है।

किसी क्षेत्र के विभिन्न आर्थिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या को जनसंख्या की आर्थिक विशेषता कहते हैं इसके अध्ययन से किसी भी क्षेत्र की क्रियाशील जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना, आर्थिक सफलता व असफलता, क्षेत्रीय आय, आर्थिक विकास स्तर तथा क्षमता जनसंख्या की क्रय शक्ति व क्षेत्र की आर्थिक सम्पन्नता तथा विपन्नता एवं उसके भावी विकास की सम्भावनाओं का यथार्थ ज्ञान होता है।

निचला गंगा-घाघरा दोआब एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ दो तिहाई से भी अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। यहाँ पर कृषि कार्य का विकास केवल जीवन यापन के रूप में ही हो पाया है। वर्तमान समय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित रूप में हमें अपनी परम्परागत कृषि उत्पादन पद्धति को बदलना होगा और उसमें नयी-नयी तकनीकी का समावेश करते हुए वर्तमान समय में कृषि को उद्योग का रूप देना होगा जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति समय एवं काल के सापेक्ष हो सके। चूँकि अध्ययन क्षेत्र में 2001 की जनगणना के अनुसार 14511021 लोग निवास करते हैं। इसलिए लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि को एक उद्योग के रूप में विकसित करने पर ही होगी।¹⁶

अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा-घाघरा दोआब में औद्योगीकरण की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जबकि किसी भी क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नति उद्योग धन्धे एवं उद्यमशीलता के फलस्वरूप ही सम्भव है। यह दोआब मुख्यतः कृष्योत्पादित एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं में खनिज सम्पदा का अभाव है। इसलिए बड़े उद्योगों का विकास हो पाना यहाँ पर दुर्लभ है।

वर्तमान समय में निचले गंगा-घाघरा दोआब में कृषि को ही उद्योग का रूप देकर इस क्षेत्र को समृद्धशाली एवं यहाँ के लोगों को स्वरोजगार परक बनाया जा सकता है जिससे लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों की बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ की उपजाऊ गंगा घाघरा नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी फूल की खेती के अनुकूल है। यहाँ की जलवायु भी इस प्रकार के कृषि को विकसित करने के लिए उपर्युक्त है। बलिया जनपद में सिकन्दरपुर तहसील एवं नगरीय केन्द्र स्वतन्त्रता के पूर्व से लेकर आज तक गुलाब के फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। आज भी यहाँ पर फूल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तथा इत्र का उत्पादन, फूल से माला बनाने का कार्य किया जाता है। चूँकि यह कृषि यहाँ परम्परागत रूप में ही हो रही है। जिससे निरन्तर इस क्षेत्र में फूलों की खेती के उत्पादन एवं विपणन में कमी देखने को मिल रहा है।¹⁷

आज आवश्यकता है यहाँ पर फूल की खेती को विकसित अवस्था में उत्पादन की। इस खेती को उन्नति करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकी की जरूरत है। फूल की खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षित किया जाय तथा उत्पादित फूल को बाजार तक पहुँचाकर उन कृषकों को उचित मूल्य उपलब्ध कराया जाय। यदि बाजार की दृष्टि से देखा जाय तो इस अध्ययन क्षेत्र में ही वाराणसी महानगरीय केन्द्र अवस्थित है। जो धार्मिक नगरी काशी के नाम से जानी जाती है। जहाँ पर धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अधिक मात्रा में फूल मालाओं की मांग वर्ष पर्यन्त बनी रहती है। जिसकी अन्य क्षेत्रों से पूर्ति की जाती है। यदि इसी क्षेत्र में फूलों का बड़े पैमाने पर उद्योग के रूप में कृषि की जाये तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया होगा, उनका जीवन स्तर उच्च होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जिससे सम्पूर्ण कृषित क्षेत्र औद्योगिक कृषि के रूप में विकसित हो सकता है। साथ ही साथ औषधीय कृषि करने के लिए भी हमें लोगों को जागरूक करना होगा जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों, नीम का पेड़ लगाना तुलसी का पौधा बड़े पैमाने पर लगाना एवं उसके विपणन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

उपरोक्त उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकास तभी सम्भव है जब नगरीय विकास में बाधक कारकों को दूर किया जाये तथा स्वस्थ औद्योगिक

विकास का वातावरण तैयार किया जाये।

इस प्रकार निचला गंगा-घाघरा दोआब के कुल नगरीय के कुल नगरीय केन्द्रों में पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योगों की संख्या 1547 है। जिसमें कुल 6204 लोग कार्यरत है। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योगों की संख्या 148 है। इन कृषि पर आधारित उद्योगों में कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 388 है। गैर कृषि पर आधारित कार्यों में लगे हुए है। सबसे अधिक कृषि पर आधारित उद्योगों की संख्या आजमगढ़ जनपद नगरीय केन्द्रों में 51 पायी जाती है यहाँ पर कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 124 है इसके अतिरिक्त बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी नगरीय केन्द्र एवं जौनपुर के केराकत नगरीय केन्द्र में क्रमशः 31, 260, 260, 100 एवं 4 कृषि पर आधारित पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योग है इन जनपदों के नगरीय केन्द्रों में कार्यशील व्यक्तियों की संख्या क्रमशः : 77, 65, 60, 53 एवं 9 है।

निचला गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय केन्द्रों में कुल गैर कृषि पर आधारित उद्योगों की संख्या 1399 है। जिसमें कुल 1458 व्यक्ति कार्यरत है। इस निचला गंगा-घाघरा दोआब में सबसे अधिक गैर कृषि पर आधारित उद्योगों की संख्या 397 आजमगढ़ के नगरीय केन्द्रों में पायी जाती है जहाँ पर कुल कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 1519 है एवं सबसे कम जौनपुर

जनपद की केराकत नगरीय केन्द्र में पायी जाती है, जहाँ पर मात्र 31 लघु एवं कुटीर उद्योग की इकाईयाँ स्थापित है। यहाँ पर कुल 221 व्यक्ति पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त बलिया जनपद के नगरीय केन्द्रों में गैर कृषि पर आधारित 334 लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयाँ पायी जाती है। जहाँ पर 1458 व्यक्ति कार्यरत है। इसी प्रकार मऊ जनपद के सभी नगरीय केन्द्रों में गैर कृषि पर आधारित 306 पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योग है यहाँ पर 1222 व्यक्ति इन उद्योगों में संलग्न है। गाजीपुर जनपद के नगरीय केन्द्रों में कुल औद्योगिक इकाईयों की संख्या 245 है। जिसमें 1018 लोग लगे हुए है। वाराणसी नगरीय केन्द्र में 86 पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ गैर कृषि आधारित उद्योग की है जिसमें कुल 378 लोग कार्यशील है। जौनपुर जनपद के केराकत नगरीय केन्द्र में गैर कृषि आधारित उद्योगों की संख्या 31 है, जिसमें कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 221 है।

निष्कर्ष

इस प्रकार निचला गंगा-घाघरा दोआब के नगरीय केन्द्रों में पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योगों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या के सघन जमाव एवं वर्तमान समय में बढ़ती हुई वस्तुओं की माँग

के परिप्रेक्ष्य में कुटीर उद्योगों की कमी है। जिसे क्षेत्रीय संसाधनों को चिन्हित करके एवं औद्योगिक इकाईयों की स्थापना करके इस क्षेत्र में सफलता हासिल किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

- ¹ सिंह, अशोक कुमार, "निचला गंगा-घाघरा दोआब में औद्योगिक विकास की सम्भावनायें," योजना, मई 2000, पृ0 25-28.
- ² सांख्यिकीय पत्रिका बलिया; गाजीपुर; आजमगढ़; मऊ; वाराणसी; जौनपुर 2004, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- ³ www.ballia.nic.in; www.Ghazipur.nic.in; www.Azamgah.nic.in;
www.Mau.nic.in; www.Jaunpur.nic.in; www.varanasi.nic.in;
- ⁴ Uttar Pradesh Census of India 2001. Series 10, Vol 1. Directorat of Census Operations, Uttar Pradesh; www.ballia.nic.in; www.Ghazipur.nic.in;
www.Azamgah.nic.in; www.Mau.nic.in; www.Jaunpur.nic.in;
www.varanasi.nic.in;
- ⁵ www.mau.nic.in
- ⁶ सांख्यिकीय पत्रिका मऊ 2004, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश; Uttar Pradesh Gazetteres. Mau. Uttar Pradesh: Published by Government of U.P.
- ⁷ Uttar Pradesh Gazetteres. Mau. Uttar Pradesh:Published by Government of U.P.

-
- 8 *Uttar Pradesh Gazetteer*. Mau. Uttar Pradesh:Published by Government of U.P.;
सांख्यिकीय पत्रिका मऊ 2004, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश;
- 9 *Uttar Pradesh Gazetteer*. Mau. Uttar Pradesh:Published by Government of U.P.;
सांख्यिकीय पत्रिका मऊ 2004, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश;
- 10 www.ballia.nic.in
- 11 www.ballia.nic.in
- 12 www.ghazipur.nic.in
- 13 www.azamgarh.nic.in
- 14 www.azamgarh.nic.in
- 15 *Uttar Pradesh Census of India 2001*. Series 10, Vol 1. Directorat of Census
Operations, Uttar Pradesh.
- 16 Districts websites.
- 17 www.azamgarh.nic.in